

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 312/2013/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स खेरोड़िया बोरवेल्स, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़).

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-प्रतापगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 63/वैट/रेस्टोरेशन/12-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-प्रतापगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को राजकीय विभागों से हैण्डपम्प ड्रिलिंग एवं हैण्डपम्प के लिये प्लेटफॉर्म का निर्माण करने की कार्य संविदा प्राप्त हुई थी जिसका कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया कि सरकारी क्षेत्र में 795 हैण्डपम्प ड्रिलिंग के अलावा उनके प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया है परन्तु सीमेंट, बजरी एवं गिट्टी आदि की खरीद नहीं होने से प्रत्येक हैण्डपम्प के लिये कुल लागत रुपये 2200/- में से रुपये 500/- प्रति हैण्डपम्प की मजदूरी मानते हुए अवशेष राशि रुपये 1700/- प्रति हैण्डपम्प में सीमेंट रेती एवं गिट्टी का उपयोग एवं स्थानांतरण मानते हुए उसकी 70 प्रतिशत राशि सीमेंट एवं 30 प्रतिशत राशि रेती एवं ईट की मानकर क्रमशः 12.5 एवं 4 प्रतिशत से करारोपण किया गया और यह समस्त खरीद अपंजीकृत व्यवसायियों से मानी गयी। इस तरह कर निर्धारण आदेश में रेती की बिक्री रुपये 8,36,400/- गिट्टी एवं सीमेंट की बिक्री रुपये 19,51,000/- एवं केसिंग पाईप की बिक्री रुपये 42,25,000/- की मानी गयी। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि हैण्डपम्प की

लगातार.....2

खुदाई में काम आने वाली वस्तु कन्ज्यूमेबल आईटम Bit Segment होता है अतः प्रत्येक बिट का क्रय मूल्य लगभग रुपये 2500/- मानकर कुल गहराई के आधार पर रुपये 1,05,625/- की कन्ज्यूमेबल आईटम पर भी करारोपण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने गुणावगुण पर बिना किसी विश्लेषण के केवल यह गलती बताई कि प्रति हैण्डपम्प के प्लेटफॉर्म पर 1700/- रुपये की राशि अपंजीकृत खरीद बताई है उसकी गणितीय आधार पर केवल 845 ड्रिल होने से इसकी राशि रुपये 14,36,500/- आती है अतः 14,36,500/- की राशि पर करारोपण को यथावत रख दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने संविदा कार्य के लिये जो भी संव्यवहार किये गये थे उसकी खरीद एवं बिक्री सम्बन्धी विवरण कर निर्धारण अधिकारी को जरिये ऑडिट रिपोर्ट एवं ट्रेडिंग अकाउण्ट प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल मनमाने रूप से कर आरोपित किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस पूरे तथ्यों पर ध्यान दिये बिना केवल गणनात्मक भूल को ठीक करते हुए आदेश पारित किया गया है जो अनुचित है एवं यह विधिक तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस दिये जो आदेश पारित किया गया है वह स्वतः अपास्त योग्य होने से सम्पूर्ण आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. अपीलार्थी की ओर से यह कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो अनुमान के आधार पर सीमेंट गिट्टी एवं ईंटों का आकलन किया गया है वह आधारहीन है क्योंकि हैण्डपम्प के निर्माण में सभी स्थानों पर गिट्टी एवं सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि उनके द्वारा सभी कार्यों में प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं किया जाना था बल्कि केवल विशिष्ट स्थानों पर जहां प्लेटफॉर्म का निर्माण करना था वहां पर ही उसका निर्माण किया गया है जिसके वर्क ऑर्डर की कॉपी भी प्रस्तुत की गई थी उसके सम्बन्धित खर्चों को उसके प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउण्ट में दर्ज किये हुए थे अतः केवल उस राशि पर ही कर आरोपित किया जा सकता था।

5. यह कथन किया है कि जो Bit Segment खरीद किये हैं उसके खर्च भी रुपये 12,03,150/- बहियात में दर्ज हैं परन्तु उसमें से उसका उपयोग मानकर जो कर आरोपित किया गया है वह अनुचित है क्योंकि इस माल का कोई हस्तांतरण अवार्डर को नहीं किया जाता है एवं स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी इसे कन्ज्यूमेबल अंकित किया है। यह भी कथन किया कि रेती एवं ईंटों का जो उपयोग बताया गया है वह पूरी तरह आधारहीन है क्योंकि



लगातार.....3

प्लेटफॉर्म में ईटों का कोई उपयोग नहीं होता है बल्कि केवल सीमेंट एवं बजरी से ही प्लेटफॉर्म बनाये जाते हैं जिसके खर्चे उनके द्वारा दर्ज किये हुए हैं। इसी तरह अपीलार्थी द्वारा केसिंग पाईप पर किये गये करारोपण को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कथन किया है कि उनके द्वारा कुल रूपये 30,86,448/- की खरीद बहियात में दर्शाई हुई थी परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार उसकी वैल्यू रूपये 42,25,000/- मानकर करारोपण किया गया है जो पुनः आधारहीन होने से अपास्त योग्य बताया।

6. उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर मनन किया गया। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिरिक्त मांग सृजित करने से पूर्व सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया बल्कि कार्यालय में बैठकर अपने अनुमान से करारोपण किया है जिसका मुख्य उदाहरण यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बहियात में दर्ज की गई केसिंग पाईप की राशि रूपये 30,86,448/- के स्थान पर अनुमान के आधार पर 845 केसिंग पाईप लगाने एवं प्रत्येक केसिंग पाईप का मूल्य रूपये 5000/- बताकर उसकी लागत रूपये 42,25,000/- निर्धारित की है जो कि पूर्णतया गलत एवं अनुचित है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो भी बहियात एवं बिल्स प्रस्तुत किये जाते हैं उसके आधार पर कर निर्धारण होता है एवं यदि उन्हें किसी भी तरह का कोई संदेह हो तो उसकी उचित जांच की जाना आवश्यक होता है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्टीकरण लेना आवश्यक होता है। इस प्रकरण में यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त ऑडिट रिपोर्ट एवं ट्रेडिंग एकाउण्ट पर बिना कोई ध्यान दिये अपनी इच्छानुसार कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया अनुचित एवं अपास्तनीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं यह अंकित किया है कि हैमर के रूप में कन्ज्यूमेबल आईटम का उपयोग किया है एवं उसके लिये स्वयं ने प्रति फीट ड्रिलिंग में एक रूपये का खर्चा बताते हुए एवं बाद में सभी बिट नकारा हो जाना मानते हुए उस पर भी करारोपण किया गया है जबकि उन्हें यह ज्ञान होना चाहिये था कि संविदा कार्य में माल के हस्तांतरण को ही डीमड सेल मानते हुए करारोपण किया जाता है जबकि बिट के मामले में स्वयं उन्होंने कन्ज्यूमेबल आईटम बताया है जिसका कोई हस्तांतरण अवार्डर को नहीं होता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा व विधि के ज्ञान का उपयोग उचित रूप से नहीं किया गया है अतः इस आधार पर भी कर निर्धारण आदेश अपास्तनीय है।




लगातार.....4

7. कर निर्धारण आदेश एवं अपील स्तर तक मेरे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने व्यापार के क्रम में समस्त बहियात का उचित संधारण किया है एवं वर्क ऑर्डर के अनुसार माल के स्थानांतरण पर ही कर आरोपणीय होता है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण आदेश मनमाने तरीके से किया है अतः उक्त आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त संकर्म संविदा के कार्यादेश अनुसार माल के हस्तांतरण पर बहियात में दर्शाये गये खरीद विक्रय अनुसार करारोपण करें एवं यदि किसी भी तरह का माल का उपयोग कम होना अनुमानित किया जाता है तो उस सम्बन्ध में वह युक्तियुक्त कारण देते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करें अन्यथा बिना किसी आधार के अपीलार्थी व्यवहारी पर करारोपण नहीं किया जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कन्ज्यूमेबल आईटम को कार्य संविदा में काम में लिये जाने पर वह डीमड सेल की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि इसमें माल का कोई हस्तान्तरण नहीं होता है। फलतः बिट पर किया गया करारोपण अपास्त किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य